



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(पंचायती राज)/प्रशा.2/कनि. अभि./स्थाना.पद./18/

3856

जयपुर, दिनांक :- 31/08/2018


आदेश

निम्न लिखित सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क. सं.	नाम एवं पद	पदनाम	कहां से	कहां को	वि.वि
1	2	3	4	5	6.
1.	अनिल अरोडा	सहायक अभियन्ता	(नरेगा) पंचायत समिति, सपोटरा (करौली) स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत (नरेगा) पंचायत समिति, मसूदा (अजमेर)	
2.	पीताम्बर आडवानी	सहायक अभियन्ता	(नरेगा) पंचायत समिति, सरवाड (अजमेर) स्थानान्तरणाधीन	संशोधन कर (नरेगा) पंचायत समिति, जमवारामगढ (जयपुर)	रिक्त पद पर
3.	खुशाल मीणा	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति, झालारापाटन (झालावाड)	पंचायत समिति, अन्ता (बारां)	रिक्त पद पर


उपरोक्त सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता वर्तमान पदस्थापन स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना संबंधित विकास अधिकारी के माध्यम से भिजवायेंगे । इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योग काल देय होगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
( दिनेश कुमार जांगिड )  
संयुक्त सचिव एवं  
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक 403 दिनांक 31.8.18 के संदर्भ में ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, संबंधित ।
6. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित ।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित ।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
9. संबंधित सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को पालनार्थ ।
10. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

  
संयुक्त सचिव एवं  
संयुक्त आयुक्त